



- 19-छोटू पुत्र रामलाल जाति माली निवासी माधोसिंहपुरा तहसील व जिला सोमाधोपुर
- 20-रामप्रसाद पुत्र हजारी जाति माली निवासी माधोसिंहपुरा तहसील व जिला सोमाधोपुर
- 21-रामबिलास पुत्र हजारी जाति माली निवासी माधोसिंहपुरा तहसील व जिला सोमाधोपुर
- 22-रामकरण पुत्र हजारी जाति माली निवासी माधोसिंहपुरा तहसील व जिला सोमाधोपुर
- 23-राजेन्द्र उर्फ सुरेश पुत्र हजारी जाति माली निवासी माधोसिंहपुरा तहसील व जिला सोमाधोपुर
- 24-नन्दकिशोर पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी माधोसिंहपुरा तहसील व जिला सोमाधोपुर
- 25-ग्राम पंचायत शेरपुर जरिये सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर पंचायत समिति सोमाधोपुर
- 26-सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर

अधिवक्तागण

- रेस्पोजेन्टसगण

श्री जगदीशप्रसाद शर्मा -अपीलांटगण

श्री कमलेश कुमार जैन- रेस्पोजेन्टसगण

श्री विनोद कुमार अग्रवाल -रेस्पोजेन्टसगण

### अपील अन्तर्गत धारा -75, भूराजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 12- 06 -2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष वकील अपीलान्तगण व रेस्पोजेन्टसगण की ओर से उपस्थित। बहस अपील सुनी गई। प्रस्तुत अपील में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण ने विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 27-1-1981 वाके ग्राम माधोपुरसिंहपुरा के नामान्तकरण को सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर के द्वारा तस्दीक किया गया था। प्रस्तुत नामान्तकरण में अपील मीमो के मद नंबर 5 के अनुसार सजरा खानदान के अनुसार नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया है। इस तथ्य की जानकारी होते ही अपीलांटगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट सहित अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 51 को निरस्त किया जाकर मृतक रामलाल के समस्त विधिक वारिसान के नाम से नामान्तकरण दर्ज किया जावे। अपीलांटगण ने पैतृक भूमि के समर्थन में सम्वत 2013से सम्वत 2016की राजस्व जमाबंदी प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्टसगण की तलबी जरिये सम्मन की गई एवं रेस्पोजेन्टसगण की ओर से योग्य अधिवक्ता भी उपस्थित हुये। तत्पश्चात् बहस अपील अपीलांट सुनी गई।

हमने उभय पक्ष के वकूलाय द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अपीलांटन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी के संबंध में प्रार्थना पत्र में अंकित कारणो हम सहमत है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को न्यायहित में कण्डोन किया जाता है तथा उक्त अपील को अंदर म्याद शुमार किया जाता है। नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 27-1-81 को सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर द्वारा स्वीकार किया गया था। नामान्तकरण संख्या 51 वाके ग्राम माधोसिंहपुरा की प्रमाणित प्रति का अवलोकन करने पर नामान्तकरण में अंकित आराजीयात में रामलाल पुत्र नानगा का 1/3 हिस्सा दर्ज हो रहा है। जो रामलाल के फोट होने पर रामलाल के वारिसान माधो, हरिनारायण, रामप्रताप, छोटूलाल पिता राम लाल के नाम से दर्ज हो रही है किन्तु रामलाल के पुत्र गोपीराम का नाम उक्त नामान्तकरण में दर्ज होने से

जबकि गोपीराम रामलाल का ही पुत्र है इसके संबंध में ग्राम पंचायत शेरपुर द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 20-11-2011को जारी किया गया है उसमें भी गोपी के पिता के नाम रामलाल दर्ज है । भारत निर्वाचन आयोग जारी पहचान पत्र में गोपी के पिता का नाम रामलाल अंकित है एवं अपीलांटगण की ओर से गांव के मौतविर व्यक्तियों के दस किता. शपथ पत्र भी इस आशय के प्रस्तुत किये है कि गोपीराम एकमात्र मृतक रामलाल का पुत्र है एवं गोपीराम के अलावा मृतक रामलाल के 5 पुत्र और थे । इससे स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 51 में गोपीराम का नाम अंकित होने से रह गया है । इस प्रकार अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर गोपीराम रामलाल का पुत्र होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 51 दिनांक 27-01-1981 वाके ग्राम माधोसिंहपुरा को अपास्त किया जाता है तथा तहसीलदार सवाई माधोपुर प्रतिप्रेषित कर को आदेशित किया जाता है कि मृतक रामलाल पुत्र नानगा के नाम की कृषि भूमि हिस्सा 1/3 में मृतक गोपीराम पुत्र रामलाल जो अपीलांटगण के पिता है का नाम दर्ज करते हुये पुनः नियमानुसार नामान्तकरण खोलने की कार्यवाही करें । चूंकि गोपीराम भी फोट हो चुका है । अतः गोपीराम के स्थान पर गोपीराम के वारिसान अपीलांट संख्या 1लगायत, 8 के नाम नामान्तकरण खोलने की नियमानुसार कार्यवाही करें ।

निर्णय आज दिनांक 12-06-19 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

4  
( रघुनाथ )  
उप जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर

